रोज़ा फासिद कर देने वाली चीज़ें

[*हिन्दी*]

مفسدات الصيام

[اللغة الهندية]

लेख

शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاءالرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفيق الرحمن ضياء الله المدني

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1428 - 2007

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

हर प्रकार की प्रशंसा सर्व जगत के पालन हार अल्लाह तआला के लिए योग्य है, तथा अल्लाह की कृपा एंव शांती अवतरित हो अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद पर, तथा आप के साथियों, आप की संतान और आप के मानने वालों पर।

रोज़े को फासिद कर देने वाली चीज़ों के विषय में सऊदी अरब के एक महा विद्वान मुहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस में आप ने रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है, जो इस आशा के साथ पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है कि यह फत्वा रोज़े को फासिद कर देने वाली चीज़ों के जानने में लाभदायक सिद्ध होगा। (अ.र.)

प्रश्न : रोज़े को फासिद कर देने वाली चीज़ें क्या क्या हैं?

उत्तर : रोज़े को फासिद करने वाली वीज़ें वही हैं जिन से रोज़ा टूट जाता है, वह निम्नलिखित हैं:

१. सम्भोग करना।

२. खाना।

३. पीना।

४. शहवत (कामवासना) के साथ वीर्य निकालना।

५. जो खाने और पीने के अर्थ में है।

६. जान-बूझ कर उल्टी करना।

७. सिंघी द्वारा खून निकलना।

८. हैज़ (मासिक धर्म) और निफास (प्रसव) का खून निकलना।

खाने और पीने तथा सम्भोग करने का प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾

[البقرة:١٨٧]

"अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूंढ़ने की अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े पूरे करो।" (सूरतुल बक्राः १८७)

शहवत के साथ वीर्य निकालने का प्रमाण हदीसे कुदसी में रोज़ेदार के संबंध में अल्लाह तआला का यह फरमान है:

((يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي))

वह अपने खाने पानी और शहवत (कामवासना) को मेरे कारण छोड़ देता है।
(इब्ने माजा हदीस नñ १६३८)

और वीर्य का निकालना शहवत है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

((وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام- أي كان عليه وزر- فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)).

''और तुम्हारे सम्भोग करने में भी सदक़ा (पुण्य) है, लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल हम में से एक व्यक्ति अपने कामवासना की पूर्ति करता है और उसे उसमें पुण्य भी मिलेगा ? आप ने कहाः तुम्हारा क्या विचार है यदि वह अपनी कामवासना को निषिध चीज़ों में पूरा करता ? - अर्थात क्या उसे उस पर पाप मिलता?- इसी प्रकार जब उसने उसे वैध चीज़ों में रखा तो उसे उस पर पुण्य मिलेगा।'' (मुस्लिम हदीस न॰ १००६)

और जो चीज़ रखी जाती है वह कूद कर निकलने वाली वीर्य ही है, इसी कारण राजेह कथन यह है कि मज़ी से रोज़ा फासिद नहीं होता है यद्यपि वह शहवत और बिना सम्भोग किए आलिंगन के साथ ही क्यों न हो।

पांचवाँ: जो खाने पीने के अर्थ में हो, इस से मुराद शक्ति वर्धक इन्जेक्शन है जो खाने पीने का काम देता है; इसलिए कि यह अगरचे खाना और पीना नहीं है किन्तु खाने और पीने के अर्थ में है क्योंकि वह खाने पीने का काम देता है, और जो चीज़ किसी जीज़ के अर्थ में होती है उसका हुक्म भी वही होता है। इसी कारण शरीर का स्वस्थ बाक़ी रहना इन्हीं इन्जेक्शनों के प्रयोग करने पर निर्भर करता है अर्थात शरीर को इन इन्जेक्शनों से खुराक मिलता रहता है चाहे किसी और चीज़ का खुराक न मिले, किन्तु जो इन्जेक्शन शरीर को खुराक नहीं पहुँचाता है और न खाने पीने का काम करता है उससे रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे मनुष्य उसे रगों में लगवाए, या पठ्ठों में या शरीर के किसी अन्य अंग में।

छठा : जान बूझ कर उल्टी (क़ै) करना, अर्थात आदमी के पेट में जो कुछ है उसे क़ै कर दे यहाँ तक कि वह उसके मुंह से बाहर निकल जाए, इसलिए कि अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((من استقاء عمدا فليقض ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه)).

"जिसने जानबूझ कर (इच्छापूर्वक) क़ै किया वह क़ज़ा करे। और जिस पर क़ै ग़ालिब आजाए उस पर कोई क़ज़ा नहीं है।" (अबु दाऊद हदीस न॰ २३८०, तिरमिज़ी हदीस न॰ ७२०)

इसके अन्दर हिक्मत (रहस्य) यह है कि जब रोज़ेदार ने उल्टी कर दिया तो उसका पेट खाने से खाली हो गया, और उसके शरीर को उस चीज़ की आवश्यकता पड़ गई जो उसके उस कमी की पूर्ति कर सके, इसलिए हम कहेंगे : यदि रोज़ा फर्ज़ हो तो मनुष्य के लिए जाइज़ नहीं है कि वह क़ै करे; इसलिए कि अगर वह क़ै करेगा तो उसका वाजिब रोज़ा फासिद होजाएगा।

सातवाँ : सिँघी के द्वारा खून का निकलना, इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है:

((أفطر الحاجم والمحجوم))

"सिंघी लगाने वाले और सिंघी लगवाने वाले का रोज़ा टूट गया।"

आठवाँ : हैज़ (मासिक धर्म) और निफास (प्रसव-स्राव) का खून निकलना, इसका प्रमाण यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्त्री के विषय में फरमाया :

((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم))

"क्या ऐसी बात नहीं है कि जब उसे मासिक धर्म आ जाता है तो वह न नमाज़ पढ़ती है और न रोज़ा रखती है।" (बुखारी हदीस न॰ ३०४, मुस्लिम हदीस न॰ ७९)

विद्वानों की इस बात पर सहमति है कि मासिक धर्म वाली स्त्री का रोज़ा सहीह नहीं है, और उसी के समान निफास वाली स्त्री भी है।

उपरोक्त रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों अर्थात रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ों से उसी समय रोज़ा टूटता है जब उसके अन्दर तीन शर्तें पाई जाएं और वह यह हैं:

१. ज्ञान।

२. ध्यान (याद दाश्त)।

३. इच्छा।

रोज़ेदार का रोज़ा इन रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ों से उसी समय फासिद होगा जब उसमें यह तीन शर्तें पाई जाएं :

पहला : वह शरई हुक्म को जानता हो, और उसे रोज़े की हालत अर्थात समय का पता हो। यदि उसे शरई हुक्म या समय का ज्ञान न हो तो उसका रोज़ा सहीह है, इसलिए की अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

''ऐ हमारे रब, यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमारी पकड़ न करना।''

(सूरतुल बक़रः२८६)

इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया:**'' मैं ने स्वीकार किया।''**

और इस लिए कि अल्लाह तआला ने फरमायाः

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب:٥].

''और जो कुछ तुम से गलती हुई है उसमें तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं है, किन्तु जिसका तुम्हारे हृदय ने इरादा किया हो।'' (सूरतुल अहज़ाबः ५)

यह दों सामान्य (आम) दलीलें हैं।

तथा इसलिए भी कि इस संबंध में रोज़े के विषय में सुन्नत से विशेष दलीलें भी हैं, चुनांचे सहीह (बुखारी व मुस्लिम) में अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि उन्हों ने रोज़ा रखा तो अपने तकिए के नीचे दो रस्सियाँ -अर्थात वह दो रस्सियाँ जिनके द्वारा ऊँट के अगले पैर को बैठते समय बांधा जाता है- रख लीं, एक काली और दूसरी सफेद, और वह खाने पीने लगे यहाँ तक कि सफेद डोरी काली डोरी से स्पष्ट होगई, तब उन्हों ने खाना पीना बन्द किया, फिर जब भोर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए और उन्हें इसकी सूचना दी, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें बतलाया कि आयत के अन्दर सफेद धागे और काले धागे से मुराद दो प्रसिद्ध धागे नहीं हैं, बल्कि सफेद धागे से मुराद दिन की सफेदी (उजाला) और काले धागे से मुराद रात की अँधेरी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें रोज़े की कज़ा का आदेश नहीं दिया। **(बुखारी हदीस न॰ १९१६, मुस्लिम हदीस न॰ १०९०)** क्योंकि उन्हें हुक्म का ज्ञान नहीं था, उनका गुमान था कि आयत का अर्थ यही है।

जहाँ तक समय का ज्ञान न होने का संबंध है तो सहीह बुखारी में अस्मा बिन्त अबु-बक्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्हों ने फरमायाः

((أفطرنا على عهد النبي صلي الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس))

''नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में एक बदली वाले दिन में हम ने रोज़ा इफ्तार कर लिया, फिर सूरज निकल आया।'' (बुखारी हदीस न॰ १९५९)

इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें क़ज़ा करने का आदेश नहीं दिया, यदि कज़ा अनिवार्य होता तो आप उन्हें उसका अवश्य आदेश देते, और

यदि आप उन्हें कज़ा का आदेश देते तो उम्मत तक उसे अवश्य नक़्ल किया (पहुँचाया) जाता। इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[الحجر:٩]

''हम ने ही इस कुरआन को उतारा है और हम ही इसकी सुरक्षा करने वाले हैं।'' (सूरतुल-हिज्रः ६)

चुनांचे जब उसके नक़्ल (उल्लेख) किए जाने के कारण के पूरी तरह मौजूद होने के उपरान्त भी नक़्ल (उल्लेख) नहीं किया गया तो इस से ज्ञात हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा करने का आदेश नहीं दिया था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें -कज़ा का- हुक्म नहीं दिया तो पता चला कि वह वाजिब नहीं है।

इसी प्रकार यदि आदमी नींद से उठे और यह समझते हुए कि अभी वह रात ही में है कुछ खा ले या पी ले, फिर उसे पता चले कि उस ने फज्र उदय होने के पश्चात खाया और पिया है तो उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं है; इसलिए कि वह जाहिल (अनजाना) था।

दूसरी शर्त : यह है कि उसे ध्यान (स्मरण) हो, ध्यान का विपरीत भूल जाना है, यदि वह भूल कर खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा सहीह है, उस पर क़ज़ा -वाजिब- नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة:٢٨٦)

''ऐ हमारे रब! यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमें न पकड़ना।'' (सूरतुल बक़रः२८६)

इस पर अल्लाह तआला ने फरमायाः **''मैं ने स्वीकार किया।''**

और इसलिए कि अबु-हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))

जिस व्यक्ति ने रोज़े की हालत में भूल चूक कर खा लिया या पी लिया वह अपना रोज़ा पूरा करे; क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और पिलाया है। (बुखारी हदीस न॰ १९३३, मुस्लिम हदीस न॰ ११५५)

तीसरी शर्त : इच्छा और इरादा है, और वह यह कि मनुष्य ने उस रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ का प्रयोग अपनी इच्छा और पसंद से किया हो, यदि वह उसके उपभोग में स्वेच्छ और स्वयंवश नही था तो उसका रोज़ा सहीह है, चाहे उसे उसके करने पर बाध्य (मजबूर) किया गया हो या बाध्य (मजबूर) न किया गया

हो, इसलिए कि कुफ्र पर बाध्य (मजबूर) किये जाने वाले व्यक्ति के बारे मे अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل:١٠٦].

''जो अपने ईमान के पश्चात अल्लाह से कुफ्र करे सिवाय उसके जिसे बाध्य किया गया है और उसका हृदय ईमान पर सन्तुष्ट हो, परन्तु जो लोग खुले दिल से कुफ्र करें तो उन पर अल्लाह तआला का प्रकोप है और उन्हीं के लिए बड़ी यातना है।'' (सूरतुन नह्लः १०६)

जब कुफ्र का मामला मजबूर किए जाने की अवस्था में क्षमा के योग्य है तो जो चीज़ उससे कमतर है वह मजबूर किए जाने की अवस्था में और अधिक क्षमा के योग्य है। इसी प्रकार वह हदीस भी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत की जाती है:

((إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).

''अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से गलती, भूल-चूक और जिस पर वह बाध्य (मजबूर) किए गए हों, क्षमा कर दिया है।'' (इब्ने माजा हदीस न॰ २०४३)

इस आधार पर यदि रोज़ेदार के नाक में धूल-गर्द उड़ कर पहुँच जाए और वह अपने गले में उसका स्वाद अनुभव करे और वह उसके मेदे (आमाशय) में चला जाए तो इस से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा; क्योंकि उसने इसे अपनी इच्छा और इरादे से नहीं किया है।

इसी प्रकार यदि उसे रोज़ा तोड़ने पर बाध्य (मजबूर) किया जाए और वह बाधा को समाप्त करने के लिए रोज़ा तोड़ दे तो उसका रोज़ा सहीह है; इसलिए कि इसमें उसकी इच्छा और पसन्द का दखल नहीं है।

इसी प्रकार यदि आदमी को स्वपनदोष होजाए और सोने की हालत में वीर्य निकल जाए तो उसका रोज़ा सहीह है; इसलिए कि सोने वाले की कोई इच्छा नहीं होती है।

इसी प्रकार यदि आदमी अपनी पत्नी से रोज़े की हालत में ज़बरदस्ती सम्भोग कर ले तो उस स्त्री का रोज़ा शुद्ध (उचित) है; इसलिए कि उसने अपनी इच्छा और पसंद से नहीं किया है।

यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य मस्अला है जिसे समझना आवश्यक है: वह यह कि यदि किसी व्यक्ति ने रमज़ान के दिन में सम्भोग किया है और रोज़ा उस पर अनिवार्य है तो उसके सम्भोग करने पर पाँच चीज़ें मुरत्तब (निष्कर्षित) होती हैं :

१. पाप (गुनाह)।

२. दिन के अवशेष भाग में खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य होजाता है।

३. उसका रोज़ा फासिद होजाता है।

४. क़ज़ा।

५. कफ्फारा।

इस में कोई अन्तर नहीं है कि आदमी को इस बात का ज्ञान है कि उस पर इस सम्भोग करने में क्या अनिवार्य है या उसे इसका ज्ञान नहीं है, अर्थात जब आदमी रमज़ान के रोज़े में सम्भोग कर ले और रोज़ा उस पर वाजिब हो, किन्तु उसे इस बात का ज्ञान न हो कि उस पर कफ्फारा वाजिब हो जाता है, तब भी उस पर सम्भोग के उपरोक्त अहकाम मुरत्तब (लागू) होंगे; इसलिए कि उसने रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ को जान बूझ कर किया है, और रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ को जान बूझ कर करने से उस पर मुरत्तब (निष्कर्षित) होने वाले अहकाम लाज़िम हो जाते हैं।

बल्कि अबु-हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरा सर्वनाश होगया, आप ने कहाः ''तुझे किस चीज़ ने सर्वनाश कर दिया?'' **(बुखारी हदीस न॰ १९३६, मुस्लिम हदीस न॰ ११११)**

उसने कहाः रमज़ान में रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे कफ्फारा का आदेश दिया। हालाँकि उस आदमी को यह पता नहीं था कि उस पर कफ्फारा है या नहीं।

और हम ने जो यह कहा है कि: **''और रोज़ा उस पर वाजिब हो''** इस से वह हालत निकल जाती है जब रोज़ेदार उदाहरण स्वरूप यात्रा के दौरान अपनी बीवी से सम्भोग कर ले, ऐसी अवस्था में उस पर कफ्फारा अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के तौर पर यदि कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ रमज़ान के महीने में यात्रा पर हो और वह दोनों रोज़े से हों, फिर वह अपनी बीवी से सम्भोग कर लेता है तो उस पर कफ्फारा अनिवार्य नहीं है, और यह इसलिए कि जब यात्री रोज़ा आरम्भ करे तो उस पर उस रोज़े को पूरा करना अनिवार्य नहीं है, यदि उसकी इच्छा हो तो पूरा करे, और अगर चाहे तो रोज़ा तोड़ दे और बाद में उसकी क़ज़ा करे।

अनुवादक

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**)***

***atazia75@gmail.com**